

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक/12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (1) :::: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित **स्टॉफ नर्स** को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती टुकेश्वरी साहू	प्राथ.स्वा. केन्द्र बोडरा, जिला बालोद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी धमतरी के अधीन	स्वयं के व्यय
2	कु. अमिता मिज	सामु.स्वा. केन्द्र पथरिया, जिला मुंगेली	सामु.स्वा. केन्द्र कांशाबेल जिला जशपुर	स्वयं के व्यय
3	श्रीमति जितेन्द्री जोशी	सामु.स्वा. केन्द्र कुरुद, जिला धमतरी	प्राथ.स्वा. केन्द्र केशरपाल, जिला बस्तर	स्वयं के व्यय
4	श्रीमती किरण लता ग्वाल	इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय कोरबा	प्राथ.स्वा. केन्द्र कंडेल, जिला धमतरी	स्वयं के व्यय
5	कु. संजिता खलखों	सामु.स्वा. केन्द्र तमनार, जिला रायगढ़	जिला चिकित्सालय जशपुर	स्वयं के व्यय
6	कु० लक्ष्मी देवांगन	सामु.स्वा. केन्द्र बगीचा, जिला जशपुर	प्राथ.स्वा. केन्द्र बर्गा, जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
7	कु. बबीता बघेल	जिला चिकित्सालय मुंगेली	जिला चिकित्सालय कांकेर	स्वयं के व्यय
8	मंजू पाटले	प्राथ.स्वा. केन्द्र रोहरा, जिला बलौदाबाजार	जिला चिकित्सालय बिलासपुर	स्वयं के व्यय
9	ममता देवांगन	सामु.स्वा. केन्द्र करतला, जिला कोरबा	सिविल अस्पताल खरसिया जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
10	सोनी गुप्ता	प्राथ.स्वा. केन्द्र बिंजकोट, जिला रायगढ़।	सामु.स्वा. केन्द्र सारगढ़ जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

U. Talwar

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (1)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (2) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टॉफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	यशवंती पाणिग्राही	प्राथ.स्वा. केन्द्र कोलोईबहाल, जिला रायगढ़।	सामु.स्वा. केन्द्र बरमकेला, जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
2	नीलिमा निषाद	प्राथ.स्वा. केन्द्र जिला कोरबा	जिला चिकित्सालय कोरबा	स्वयं के व्यय
3	कु हेमलता श्रीवास	जिला चिकित्सालय कोरबा	सिविल अस्पताल भाटापारा जिला बलौदाबाजार	स्वयं के व्यय
4	श्रीमति अफसाना बानो	सामु.स्वा. केन्द्र घरघोड़ा, जिला रायगढ़	जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	स्वयं के व्यय
5	कु. रीता	प्राथ.स्वा. केन्द्र हसौद, सामु. स्वा. केन्द्र जैजैपुर, जिला जांजगीर	सामु.स्वा. केन्द्र सोनहत, जिला कोरिया।	आपसी स्थानांतरण
6	कु. धनेश्वरी कश्यप	सामु.स्वा. केन्द्र सोनहत, जिला कोरिया	प्राथ.स्वा. केन्द्र हसौद, सामु.स्वा. केन्द्र जैजैपुर, जिला जांजगीर।	आपसी स्थानांतरण
7	श्रीमती प्राची रोहन सिंह	सामु.स्वा. केन्द्र गुरुर, जिला बालोद	सामु. स्वा. केन्द्र झीट जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय
8	श्रीमती कामनी साहू	जिला चिकित्सालय कोडागांव	सामु.स्वा. केन्द्र धनेलीकन्हार जिला कांकर	स्वयं के व्यय
9	कु. आकांक्षा एक्का	सिविल अस्पताल शिवरीनारायण, जिला जांजगीर।	सामु.स्वा. केन्द्र बसना जिला महासमुंद	स्वेच्छा से
10	श्रीमति प्रभा चौहान	सामु.स्वा. केन्द्र मस्तुरी, जिला बिलासपुर।	सामु.स्वा. केन्द्र कसडोल, जिला बलौदाबाजार	प्रशासनिक


2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।

3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

W. Jindal

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (2)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (3) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टॉफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हैं:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	सरिता पाण्डेय	पीएचसी सिरमिना कोरबा	प्राथ.स्वा. केन्द्र पचपेढ़ जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
2	श्रीमति राजलक्ष्मी	सामु.स्वा. केन्द्र झीट, वि.ख. पाटन, जिला दुर्ग	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
3	श्रीमती सुभाषणी यादव	नोशनल स्वास्थ्य संस्था खण्डरा (वि.ख. कार्यालय पी. एच.सी.) जिला बेमेतरा	सामु.स्वा. केन्द्र जैजैपुर, जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय
4	खीस्त प्रशंसनीय तिकी	सामु.स्वा. केन्द्र पोड़ी-उपरोड़ा, जिला कोरबा	सामु.स्वा. केन्द्र विश्रामपुर जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय
5	कु. कल्पना देवी	सामु.स्वा. केन्द्र विजयनगर, जिला रायगढ़	सामु.स्वा. केन्द्र सीतापुर जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
6	कु. शशि प्रभा बान्डे	सामु.स्वा. केन्द्र नवागढ़, जिला बेमेतरा	जिला चिकित्सालय धमतरी	स्वयं के व्यय
7	श्रीमति शीला शर्मा	सिविल अस्पताल भाटापारा, जिला बलौदाबाजार।	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
8	श्रीमति सरिता सिंह राजपूत	सामु.स्वा. केन्द्र कोटा, जिला बिलासपुर।	सामु.स्वा. केन्द्र लोरमी, जिला मुंगेली	स्वयं के व्यय
9	थलेश्वरी नाग	प्राथ.स्वा. केन्द्र मंगनार, वि.ख. बकावण्ड, जिला बस्तर।	प्राथ.स्वा. केन्द्र तिरिया वि.ख. नानगुर जिला जगदलपुर	स्वयं के व्यय
10	श्रीमति चंद्रप्रभा साहू	सामु.स्वा. केन्द्र उत्तई, जिला दुर्ग।	प्राथ.स्वा. केन्द्र भुलसीकला वि.ख. कुसमी, जिला बलरामपुर	प्रशासनिक

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

Utaka

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

U. Jankar
(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (3)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

U. Jankar
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक/2 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (4) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टॉफ नर्स को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हैं:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	प्रेमलता वैध	प्राथ स्वा केन्द्र साल्हेघोरी जिला मुंगेली	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
2	गीतांजली साहू	जिला अस्पताल रायगढ़।	जिला चिकित्सालय कांकेर	प्रशासनिक
3	कुमार जस्मिका रानी	रायगढ़	सामु. स्वा. केन्द्र कुरुद जिला धमतरी	स्वयं के व्यय
4	नीलीमा टोप्पो	प्राथ.स्वा. केन्द्र खड़मा, जिला गरियाबंद	सामु.स्वा. केन्द्र डोंडी जिला बालोद	स्वयं के व्यय
5	ज्योति मिंज	जिला चिकित्सालय कोरिया	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
6	कु. कामना शर्मा	जिला अस्पताल मुंगेली	सामु.स्वा. केन्द्र दरिमा जिला अम्बिकापुर	स्वयं के व्यय
7	मोनिका पटेल	सामु.स्वा. केन्द्र मालखरोदा, जिला जांजगीर	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
8	बंसती नाग	जिला चिकित्सालय बालोद	जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा	स्वयं के व्यय
9	श्रीमती रम्भा वर्मा	सामु.स्वा. केन्द्र तिल्दा, जिला रायपुर	प्राथ.स्वा. केन्द्र दरिमा जिला सरगुजा	स्वयं के व्यय
10	श्रीमती शशी साहू	प्रा. स्वा. केन्द्र, आमाडुला जिला बलोद	सामु.स्वा. केन्द्र चारामा जिला कांकेर	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानान्तरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

W. J. J. J.

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (4)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 2 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (5) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टाॅफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	कु सीमा साहू	सामु.स्वा. केन्द्र कसडोल, जिला बलौदाबाजार	सामु.स्वा. केन्द्र सक्ती जिला जांजगीर चांपा	स्वयं के व्यय
2	श्रीमती ज्योति स्वर्णकार	सामु.स्वा. केन्द्र बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार	सामु.स्वा. केन्द्र सारंगढ़ जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
3	कु. गीता	प्राथ.स्वा. केन्द्र मारो, जिला बेमेतरा	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
4	असरीता मिंज	प्रा. स्वा. केन्द्र, चोटिया जिला बालोद	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
5	श्रीमती आरती नेवला	सामु.स्वा. केन्द्र केशकाल, जिला कोण्डागांव	जिला चिकित्सालय कांकेर	स्वयं के व्यय
6	रागनी राय	सामु.स्वा. केन्द्र करतला, जिला कोरबा	जिला चिकित्सालय बिलासपुर	स्वयं के व्यय
7	श्रीमती कल्पना प्रधान	सामु.स्वा. केन्द्र तुमगांव, जिला महासमुन्द	सामु.स्वा. केन्द्र पिथौरा जिला महासमुन्द	स्वयं के व्यय
8	संयोगिता कुरे	सामु.स्वा. केन्द्र बोरी, जिला दुर्ग	सामु.स्वा. केन्द्र झीट जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय
9	त्रिकेश्वरी	जिला चिकित्सालय बेमेतरा	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

Ujala

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (5)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (6) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टाॅफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हैं:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	हितेश कुमार	सामु.स्वा. केन्द्र नवागढ़, जिला बेमेतरा	जिला चिकित्सालय कोरबा	स्वयं के व्यय
2	श्रीमती अर्पणा नाम	सिविल अस्पताल पखान्जुर (100 शैय) जिला कांकेर	सामु.स्वा. केन्द्र ओरछा जिला नारायणपुर	स्वयं के व्यय
3	कुमुदनी सिदार	सामु.स्वा. केन्द्र लवन, जिला बलौदाबाजार	प्राथ.स्वा. केन्द्र डूमरपाली जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
4	श्री अरुण कुमार मांझी	सामु.स्वा.केन्द्र धरसीवा, जिला रायपुर	जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा	स्वयं के व्यय
5	मंजू बारसागड़े	प्राथ.स्वा. केन्द्र सिलयारी, जिला रायपुर	सामु.स्वा. केन्द्र कोटा, जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
6	कौशिल्या पटेल	प्राथ.स्वा. केन्द्र भीथिडीह, जिला महासमुन्द	सामु.स्वा. केन्द्र बरमकेला जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
7	कु निर्मला साहू	सामु.स्वा. केन्द्र कसडोल, जिला बलौदाबाजार	जिला चिकित्सालय बिलासपुर	स्वयं के व्यय
8	श्रीमति प्रतिभा साहू	सामु.स्वा. केन्द्र बम्हनीडीह, जिला जाजगीर-चांपा	जिला चिकित्सालय बिलासपुर	स्वयं के व्यय
9	कु. सुनीता कुर्रे	सामु.स्वा. केन्द्र बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा	जिला चिकित्सालय जांजगीर	स्वयं के व्यय
10	श्रीमती पार्वती साहू	प्राथ.स्वा. केन्द्र दतान पश्चिमी, जिला बलौदाबाजार	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

W. Jaiswal

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वेच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (6)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित
..... की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक/2 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (7) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टॉफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	संगीता खेस	सामु.स्वा. केन्द्र तिल्दा, जिला रायपुर	प्राथ.स्वा. केन्द्र लटोरी, जिला सूरजपुर	स्वयं के व्यय
2	अर्पणा मसीह	सामु.स्वा. केन्द्र कोटा, जिला बिलासपुर	जिला चिकित्सालय बिलासपुर	स्वयं के व्यय
3	निशा स्नेही	सामु.स्वा. केन्द्र निकुम, जिला दुर्ग	प्राथ.स्वा. केन्द्र कुरदा, जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय
4	नम्रता मसीह	प्राथ स्वा केन्द्र जरहागांव जिला मुंगेली	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
5	प्रतिभा राजपूत	सामु.स्वा. केन्द्र डौण्डी, जिला बालोद	सामु.स्वा. केन्द्र तोकापाल, जिला बस्तर	स्वयं के व्यय
6	कु० बेला साहू	सामु.स्वा. केन्द्र मैनपुर, जिला गरियाबंद	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
7	श्रीमति नीलिमा बन्जारे	प्राथ स्वा केन्द्र दशरंगपुर जिला मुंगेली	प्राथ.स्वा. केन्द्र जरोंदा, जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
8	ललिता कंवर	सामु.स्वा. केन्द्र सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा	प्राथ.स्वा. केन्द्र पताड़ी, जिला कोरबा	स्वयं के व्यय
9	कु. पूर्णिमा रात्रे	प्राथ.स्वा. केन्द्र खम्हार, जिला रायगढ़	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
10	आशा बरबा	जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर जिला कोरिया	सामु.स्वा. केन्द्र कोटा जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

Ujaya

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (7)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।





अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (8) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टाॅफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	देवकी वर्मा	जिला चिकित्सालय बलौदाबाजार	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
2	शालिनी चौहान	सामु.स्वा. केन्द्र खरौद, जिला जांजगीर	सामु.स्वा. केन्द्र गौरैला जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
3	श्रीमती सुन्नी वर्गीस	नोशनल स्वास्थ्य संस्था साजा (वि.ख. कार्यालय पी.एच.सी. साजा) जिला बेमेतरा	सामु.स्वा. केन्द्र अहिवारा जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय
4	रजनी राजवाड़े	जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर	मुख्य चिकित्सा एव स्वा. अधिकारी जिला जशपुर	स्वयं के व्यय
5	कृ. खुशबु शर्मा	सामु.स्वा. केन्द्र अर्जुन्दा, जिला दुर्ग	प्राथ.स्वा. केन्द्र सिरसिदा जिला बालोद	स्वयं के व्यय
6	निलेश्वरी खुंटे	पीएचसी तुमान जिला कोरबा	प्राथ.स्वा. केन्द्र हसौद, जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय
7	प्रभा एक्का	सामु.स्वा. केन्द्र घरघोड़ा, जिला रायगढ़	सामु.स्वा. केन्द्र गौरैला, जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
8	कु ज्योति पैकरा	सामु.स्वा. केन्द्र बम्हनीडीह, जिला जांजगीर	जिला चिकित्सालय कोरिया	स्वयं के व्यय
9	श्रीमती प्रियंका साहू	जिला चिकित्सालय बेमेतरा	सामु.स्वा. केन्द्र राजिम जिला गरियाबंद	स्वयं के व्यय
10	तृप्ति मेश्राम	जिला चिकित्सालय बालोद	सामु. स्वा केन्द्र भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

U. J. J.

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैंडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (8)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टॉक फाईल।




अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (9) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टाॅफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	प्रभा किरण टोप्पो	सामु.स्वा. केन्द्र देवरी-बंगला, जिला बालोद	प्राथ.स्वा. केन्द्र पताढी जिला कोरबा	स्वयं के व्यय
2	मिता दास	प्राथ.स्वा. केन्द्र खुरसुनी, वि.ख. गुण्डरदेही, जिला बालोद	प्राथ. स्वा. केन्द्र हनौदा, जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय
3	ओमकिरण विश्वकर्मा	प्राथ. स्वा. केन्द्र माहुद बी जिला बालोद	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
4	ज्योत्सना उप्पल	जिला चिकित्सालय बीजापुर	प्राथ.स्वा. केन्द्र अड़वाल, जिला बस्तर	स्वयं के व्यय
5	दीपिका मंडल	प्राथ.स्वा. केन्द्र भखारा, जिला धमतरी	जिला चिकित्सालय नारायणपुर	स्वयं के व्यय
6	प्रीति यादव	जिला चिकित्सालय बीजापुर	सामु.स्वा. केन्द्र दुर्गकोदल जिला कांकेर	स्वयं के व्यय
7	कौशिल्या राठिया	सामु.स्वा. केन्द्र बरमकेला, जिला रायगढ़	सामु.स्वा. केन्द्र चपले जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
8	गीता यादव	सामु. स्वा. केन्द्र आरंग जिला रायपुर	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
9	अंकू गौरी मसीह	जिला चिकित्सालय रायगढ़	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
10	रश्मि नीरज साइमन	जिला चिकित्सालय कवर्धा	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

U. J. J.

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (9)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (10) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टाॅफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मी देवी सागर	प्राथ. स्वा. केन्द्र देवकर जिला बेमेतरा	सामु.स्वा. केन्द्र डभरा, जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय
2	कविता	राजनांदगांव	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
3	जी प्रीति	सामु.स्वा. केन्द्र बागबहरा, जिला महासमुन्द	प्राथ.स्वा. केन्द्र कोहका जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय
4	कृ. स्वीपन दास	प्राथ.स्वा. केन्द्र दीवानमुड़ा, जिला गरियाबंद	सिविल अस्पताल किरंदुल, जिला दंतेवाडा	स्वयं के व्यय
5	श्री प्रज्जवल रामटेके	सामु.स्वा. केन्द्र मानपुर, जिला राजनांदगांव	जिला चिकित्सालय राजनांदगांव	स्वयं के व्यय
6	मधु यादव	सामु.स्वा. केन्द्र छुरिया जिला राजनांदगांव	सामु.स्वा. केन्द्र मानपुर, जिला राजनांदगांव	स्वयं के व्यय
7	दौपदी साहू	जिला चिकित्सालय कवर्धा	जिला अस्पताल रायपुर	स्वयं के व्यय
8	श्रीमती खुशबु भार्गव	सीएचसी सक्ती जांजगीर चांपा	सीएचसी नयापारा रायपुर	स्वयं के व्यय
9	रोशी पटेल	जिला चिकित्सालय मुंगेली	जिला अस्पताल दुर्ग	स्वयं के व्यय
10	सोफिया सिंह	पीएचसी लालबहादुर राजनांदगांव	सीएचसी डोंगरगढ़ राजनांदगांव	स्वयं के व्यय
11	गीता टान्डी	सीएचसी पलारी जिला बलोदाबाजार	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
12	श्रीमति मंजूलता सोम	प्राथ. स्वा. केन्द्र लमडांड जिला रायगढ़	प्राथ.स्वा. केन्द्र पिरदा, जिला महासमुंद	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

WJalea

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (10)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (11) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित स्टाॅफ नर्स को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-


क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	कु. आरती किण्डो	प्राथ. स्वा. केन्द्र कोसमंदी, जिला बलौदाबाजार	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
2	श्रीमती मनीषा चान्दू	सामु.स्वा. केन्द्र पिथौरा, जिला महासमुन्द	सामु.स्वा. केन्द्र घुमका जिला राजनांदगाँव	स्वयं के व्यय
3	कु० बृहस्पति भोई	सामु.स्वा. केन्द्र पिपरिया, जिला कवर्धा	प्राथ.स्वा. केन्द्र जांजगीर, जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय
4	मोनिका पटेल	सामु. स्वा. केन्द्र मालखरोदा जिला जांजगीर	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
5	श्रीमति दिव्या शर्मा	सामु.स्वा.केन्द्र कसडोल जिला बलौदाबाजार	सिविल अस्पताल खरसिया जिला रायगढ़	स्वयं के व्यय
6	लक्ष्मीन कुमारी	सामु.स्वा. केन्द्र बोड़ला जिला कबीरधाम	सामु.स्वा. केन्द्र तखतपुर, जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
7	श्रीमति निशा भारती	सामु.स्वा. केन्द्र पंडरिया जिला कबीरधाम	जिला चिकित्सालय जिला कबीरधाम	स्वयं के व्यय
8	श्री योगेश कुमार यदु	सामु. स्वा. केन्द्र मोहला जिला राजनांदगाँव	प्रा.स्वा.केन्द्र खैरपुर जिला रायपुर	स्वयं के व्यय
9	श्रीमति साक्षीलाल	सामु. स्वा. केन्द्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगाँव	जिला चिकित्सालय धमतरी	स्वयं के व्यय
10	श्रीमति श्रद्धा ठाकुर	सामु. स्वा. केन्द्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगाँव	सामु. स्वा. केन्द्र राजिम जिला गरियाबंद	स्वयं के व्यय
11	श्रीमति खुम्मती वर्मा	सामु. स्वा. केन्द्र डोंगरगढ़ जिला राजनांदगाँव	सिविल अस्पताल खैरागढ़ जिला राजनांदगाँव	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

WJ

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदनुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (11)

नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टॉक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर - 492002
//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक/2अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (12) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित **स्टॉफ नर्स** को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है:-

क्र.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	आधार
1	2	3	4	5
1	श्रीमति सावित्री साहू	सामु. स्वा. केन्द्र बलौदा जिला जांजगीर	प्रा. स्वा. केन्द्र नैला जिला जांजगीर	स्वयं के व्यय
2	श्रीमती केसर वर्मा	सामु. स्वा. केन्द्र फिंगेश्वर जिला गरियाबंद	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
3	दीप शिखा रंजन	सामु.स्वा.केन्द्र लखनपुर, जिला अम्बिकापुर	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
4	कु अरूणा बड़ा	सामु.स्वा.केन्द्र बम्हनीडीह जिला जांजगीर	जिला चिकित्सालय कोरबा	स्वयं के व्यय
5	विद्या रात्रे	जिला चिकित्सालय नारायणपुर	सामु.स्वा.केन्द्र गीदम जिला दंतेवाड़ा	स्वयं के व्यय
6	कु. पुजा चिड़ियम	सामु.स्वा.केन्द्र उसूर जिला बीजापुर	सामु.स्वा.केन्द्र गीदम जिला दंतेवाड़ा	स्वयं के व्यय
7	सोनिका सिन्हा	जिला चिकित्सालय कबीरधाम	जिला चिकित्सालय महासमुंद	स्वयं के व्यय
8	श्रीमति अर्चना ताम्रकार	जिला चिकित्सालय राजनांदगाँव	जिला चिकित्सालय दुर्ग	स्वयं के व्यय
9	श्रीमती गामिनी देशमुख	सामु. स्वा. केन्द्र बेरला जिला बेमेतरा	सामु. स्वा.केन्द्र अर्जुन्दा जिला बालोद	स्वयं के व्यय
10	श्रीमति खुशबू गुप्ता	सिविल अस्पताल पत्थलगाँव जिला जशपुर	जिला अस्पताल अंबिकापुर	आपसी
11	श्रीमति अंजू किस्पोटा	जिला अस्पताल अंबिकापुर	सिविल अस्पताल पत्थलगाँव जिला जशपुर	आपसी


2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।

3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

U. Janka

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एम.एल. ताम्रकार)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क्रमांक एफ 1-66/2017/सत्रह/एक (12)


नया रायपुर, दिनांक 12 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित

..... की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग